राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

क्रमांकः न्याय/कोरोना/2020/ 22973 दिनांक 13 मई, 2020

:: आदेश अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता ::

भीलवाडा जिले के उपखण्ड क्षेत्र माण्डल के ग्राम पंचायत चान्दरास के ग्राम गोविन्दपुरा मे नोवल कोरोना वायरस कोविड–19 से संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने से संक्रमण फैलने की संभावनाओ के मध्यनजर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक न्याय/कोरोना/2020/22838 दिनांक 27, अप्रेल 2020 से दण्ड प्रक्रियां सहितां 1973 की धारा 144 के तहत सख्त निषेधाज्ञा लागू कर ग्राम पंचायत चान्दरास के ग्राम गोविन्दपुरा की रेबारी की ढाणी को केन्द्र बिन्दु मानते हुए ग्राम गोविन्दपुरा की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र को जीरो मोबिलिटि क्षेत्र **(लॉकिंग एरिया–जन साधारण का सख्ती से आगमन–निर्गमन निषेध)** घोषित किया गया है।

उक्त लागू निषेधाज्ञा को जन साधारण को संम्भावित असुविधा के निवारण के प्रयोजन से **मैं राजेन्द्र भट्ट, जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत उपखण्ड क्षैत्र माण्डल के** ग्राम पंचायत चान्दरास के ग्राम गोविन्दपुरा **मे लागू निषेधाज्ञा को** एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से प्रत्याहरित (Withdraw) करता हूँ।

13/5/20

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला मजिस्ट्रेट,भीलवाडा

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

01. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर
02. अति० मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज०, जयपुर
03. अति० मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान–जयपुर
04. संभागीय आयुक्त, अजमेर
05. महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, अजमेर
06. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान
07. **जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाडा**
08. अति० जिला मजिस्ट्रेट, (प्रशासन/शहर) भीलवाडा
09. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाडा
10. **मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा**
11. समस्त उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
12. **उपखण्ड मजिस्ट्रेट, माण्डल**
13. समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, जिला भीलवाड़ा
14. समस्त तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
15. **तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, माण्डल**
16. समस्त विकास अधिकारी पंचायत समिति, जिला भीलवाडा
17. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, भीलवाडा।
18. अति० निजी सचिव, जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

13/5/20

जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाडा